डिक्री मुकदमा इब्तदाई

3

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम टोडाभीम व

इजलास जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

जकुमार पुत्र मदनलाल
ाति ब्राह्मण (पारीक)
िवासी टोडाभीम जिला
करौली

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम
जिला करौली

बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती नाम मुकदमा नं० 93 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई हमारे व हाजिरी

सुरेश चंद शर्मा Advt. मिनकानिब गुदई रूबरू —

निब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

दस्तावेजों के अनुसार यह प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती की प्रकृति का नहीं है क्योंकि साबिक रिकार्ड एवं हाल रिकार्ड में भिन्नता या लिपिकीय त्रुटी नहीं हुई है। नामान्तकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुई नाम की प्रविष्टि को बदलने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार वादी का दावा खारिज योग्य है। अतः दावा वादी बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती नाम खारिज किया जाता है।

मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय

शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 7 सन् 2015

को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

मुहर

ओहदा

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
ाना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिशनर		
कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
त इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
फरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।

Scanned by CamScanner